अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 5236(E) /पटना, दिनांक 14/9/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं ग्रामीण कार्य विभगा द्वारा निम्न संवेदकों के निबंधन को काली सूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	श्री प्रमोद कुमार, ग्राम+पो0–कचहरिया, जिला–नालंदा, नि0 सं0–05/2016 प्रथम श्रेणी	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3009 दिनांक–09.08.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को काली सूची से मुक्त किया गया।
2.	श्री प्रमोद कुमार, ग्राम–बेगमपुर, पो0+जिला–नालंदा, नि0 सं0–241/2016 द्वितीय श्रेणी	जल संसाधन विभाग	पत्रांक–3010, दिनांक–09.08.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षो के लिए काली सूची मे डाला गया।
3.	मेसर्स रघुवर सिंह, कामताचक, पो0–मितनचक, गौरीचक, पटना नि0 सं0–422/2009 प्रथम श्रेणी	ग्रामीण कार्य विभाग	पत्रांक–9330, दिनांक–19.08.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/9/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 5236(E) /पटना, दिनांक 14/9/17

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:–यथोक्त।

13/9/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

13.09.17

S/C

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUJEET KUMAR\BLACK LISTING DRAFT.DOCX

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 14632'9 (433) 22/8/17

सकारण आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–1–280 / 16 9330 पटना, दिनांक–19.8.17

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के कार्यालय पत्रांक–1203 दिनांक 19.12.2015 के द्वारा संवेदक मे0 रघुवर सिंह, कामताचक, पोस्ट–मितनचक, गौरीचक, पटना द्वारा पैकेज संख्या– बी0आर0–26आर–266 के तहत (शहरूबदवार से आतापुर) पथ का कार्य करने हेतु एकरारनामा किया गया था, जिसका एकरारनामा संख्या–01/एस0बी0डी0 / 2010–11 की राशि 247.70997 लाख रू0 मात्र है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 06.10.2011 थी। परन्तु उक्त कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के अनुसार संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु अनेकों बार स्मार पत्र मौखिक निदेश दिया गया, परन्तु कार्य को पूर्ण करने में संवेदक द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली गयी है। जिसके कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के ज्ञापांक 1203 दिनांक 19.12.2015 के द्वारा संवेदक के एकरारनामा संख्या–01 / एस0बी0डी0 / 2010–11 को एस0बी0डी0 की कंडिका– 52.2(a)(c)(h) के उल्लंघन के आरोप में एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा की गयी है।

कार्यपालक अभियंता के उपर्युक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 13965 अनु0 दिनांक 14.12.2016 एवं पत्रांक 200 दिनांक 10.01.2017 के द्वारा इस संबंध में मे0 रघुवर सिंह, कामताचक, पोस्ट–मितनचक, गौरीचक, पटना से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संवेदक द्वारा इस संबंध में पत्रांक शून्य दिनांक 06.01.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय 969 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना से मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गयी। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना के पत्रांक 968 दिनांक 06.05.2017 के द्वारा संवेदक को एकरारित कार्य को ससमय सीमा के उपरांत भी अधूरा रखने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा एकरारनामा विखंडन के आलोक में संवेदक का निबंधन संख्या–422 / 2009 श्रेणी– प्रथम को कालीसूची में दर्ज करने की स्पष्ट अनुशंसा समर्पित किया गया है।

विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक को ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या– 8123 दिनांक 19.12.2007 में उल्लेखित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 के उप कंडिका– VI एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 154 दिनांक 18.06.2015 के कंडिका–8 के उप कंडिका– 1 (a) के तहत मे0 रघुवर सिंह, कामताचक, पोस्ट–मितनचक, गौरीचक, पटना, संख्या–422 / 2009 श्रेणी– प्रथम को 10 वर्षो के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–1–280 / 16 9330 पटना, दिनांक–19.8.17
प्रतिलिपि– संवेदक मे0 रघुवर सिंह, कामताचक, पोस्ट–मितकचक, गौरीचक, पटना, संख्या–422 / 2009 श्रेणी– प्रथम सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

कृ0पृ0उ0

132

9830

(15)

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–1–280/16 9830 पटना, दिनांक–19.8.17

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 16/8/17

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–1–280/16 9830 पटना, दिनांक–19.8.17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 16/8/17

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–1–280/16 9830 पटना, दिनांक–19.8.17

प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 16/8/17

अभियंता प्रमुख

3223

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :— 11/ विविध — 01—01/2017.................................... दिनांक..........

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के अन्तर्गत लोकायन नदी के बांया तट पर ग्राम — बाहापर, प्रखंड — करायपसुराय, के समीप टुटान स्थल पर मरम्मति का कार्य में अभिरूचि नही लेने और लापरवाही के आरोप में संवेदक श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, पो0 + जिला — नालन्दा (नि0सं0 — 05/2016, प्रथम श्रेणी) के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा0) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 2051 दिनांक 26.07.17 द्वारा किया गया। इसके आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक 2876 दिनांक 26.07.17 द्वारा उक्त संवेदक को 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।

पुनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 2149 दिनांक 30.08.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रमोद कुमार, ग्राम — बेगमपुर, पो0 +जिला — नालन्दा, (निबंधन सं0 241/2016, द्वितीय श्रेणी) के स्थान पर भूलवश श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 05/2016, प्रथम श्रेणी) अंकित हो जाने के कारण श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 05/2016, प्रथम श्रेणी) को कालीकृत कर दिया गया।

साथ ही मुख्य अभियंता द्वारा श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 05/2016, प्रथम श्रेणी) को कालीकरण से मुक्त करने हेतु अनुशंसा भी किया गया है।

अतः मुख्य अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक 2876 दिनांक 26.06.17 को निरस्त करते हुए श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 05/2016, प्रथम श्रेणी) को काली सूची से मुक्त किया जाता है।

ह0/—
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक.................................. दिनांक..

स्पीड पोस्ट/ निबंधित

प्रतिलिपिः— श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा, पिन — 803111 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक......3509...... दिनांक......9. 8. 2017......

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
9/8/17

855

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :— 11/ विविध — 01—01/2017..दिनांक.......................

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के अन्तर्गत लोकायन नदी के बांया तट पर ग्राम — बाहापर, प्रखंड — करायपसुराय, के समीप टुटान स्थल पर मरम्मति का कार्य संवेदक श्री प्रमोद कुमार, ग्राम +पो0— कचहरिया, जिला — नालन्दा को आवंटित किया गया है। उक्त कार्य में इनके द्वारा अभिरूचि नही लेते हुए कार्य को यथावत् स्थिति में छोड़कर संवेदक के चले जाने संबंधी सूचना मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा0) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 2051 दिनांक 26.07.17 द्वारा दी गई।

पुनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 2149 दिनांक 30.08.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में किये गये अनुशंसा में श्री प्रमोद कुमार, ग्राम — बेगमपुर, पो0 +जिला — नालन्दा, (निबंधन सं0 241/2016, द्वितीय श्रेणी) के स्थान पर भूलवश श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 05/2016, प्रथम श्रेणी) अंकित हो जाने के कारण श्री प्रमोद कुमार, ग्राम + पो0 — कचहरिया, जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 05/2016, प्रथम श्रेणी) को कालीकृत कर दिया गया। साथ ही मुख्य अभियंता द्वारा श्री प्रमोद कुमार, ग्राम — बेगमपुर, पो0+जिला — नालन्दा (निबंधन संख्या — 241/2016, द्वितीय श्रेणी) को कालीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा भी किया गया है।

उक्त सूचना के आधार पर मामले की पुनः समीक्षा की गई और समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक या उनके प्रतिनिधि कार्य स्थल से गायब हैं तथा मुख्य अभियंता स्वयं स्थल पर कैम्प कर रहे है। इससे यह सम्पुष्ट हो जाता है कि संवेदक कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीन हैं। बाढ़ अवधि में संवेदक द्वारा इस कार्य में अभिरूचि नही लेना और कार्यस्थल को छोड़कर चला जाना न केवल नियम विरूद्ध है बल्कि, संवेदक की आपराधिक प्रवृति को दर्शाता है। संवेदक के इस कृत्य से जान—माल के नुकसान की भी संभावना बनी हुई है।

संवेदक के कृत्य को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली — 2007 के नियम 11(क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए श्री प्रमोद कुमार, ग्राम — बेगमपुर, पो0 + जिला — नालन्दा, (निबंधन संख्या 241/2016 द्वितीय श्रेणी) को अगले 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाता है।

ह0/—
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक.. दिनांक...

स्पीड पोस्ट/ निबंधित

प्रतिलिपिः— श्री प्रमोद कुमार, ग्राम — बेगमपुर, पो0 + जिला — नालन्दा, पिन — 803111 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

(429)

ज्ञापांक 3010 दिनांक 9.8.2017

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

09.08.17

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

9/8/17

429